

18/11/2020

पत्रावली पेश हुई। अकुलाय पत्रकारान उपास्थित।
प्रकरण वास्तु आवेश नियत है। पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं लिखित
बदल पर मनन करने के पश्चात् न्यायलय
का मत है कि प्राथीगण द्वारा अपने प्रा. पत्र
में आवेश तथ्यों को साबित नहीं कराया गया
है। अतः साबित नहीं होने से प्रा. पत्र खारिज
किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रत्यक्ष से
लक्षण करा पत्रावली खलमन किया गया।
निर्णय शरेशजलास सुनाया गया। प्रकरण
फासल शुमार दोफर नम्बर से कम है।

(डा. शोभा आ. I.A.S.)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिरवा

उदयपुर
सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रेक) गिरवा

कलेक्टर शरिसर, उदयपुर

